न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 35/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार सायला तहसील सायला जिला जालोर		श्री छोगसिंह वल्द वीरमसिंह कौम राजपुत निवासी सुराणा

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित— 1. सरकारी पैरोकार (तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश दिनांक 2/5/19

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसरों के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत ग्राम सुराणा की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1471/2967 रकबा 1.80 हे., में छोगसिंह वल्द वीरमसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है एवं तद्नुसार जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में उक्त 1471/2967 रकबा 1.80 हे. में छोगसिंह वल्द वीरमसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार है । परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1471/2969 दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1471/2969 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करावें ताकि मिसल बन्दोबश्त अनुसार नक्शा शीट एवं लट्ठा में खसरा नम्बर 1471/2969 की बजाय 1471/2967 शुद्ध/संशोधन किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त है अप्रार्थीगण द्वारा सहमती पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम थलवाड के मिसल बन्दोबस्त जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर 1471/2967 के अनुसार नक्शा व मोमीट्रेस में खसरा नम्बर 1471/2969 की बजाय 1471/2967 किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
सायला (राज.)

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का सहमती पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम सुराणा की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 1471/2967 रकबा 1.80 हे., में छोगसिंह वल्द वीरमसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है एवं तद्नुसार जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में उक्त 1471/2967 रकबा 1.80 हे. में छोगसिंह वल्द वीरमसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार है । परन्तु उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1471/2969 दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर नक्शा शीट एवं लट्ठा में 1471/2969 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मोजा सुराणा के खसरा नम्बर 1471/2969 के बजाय 1471/2967 को नक्शे मे दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली,तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत है तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंषा अनुसार सरहद मोजा सुराणा के खसरा नम्बर 1471/2969 के बजाय 1471/2967 को नक्शे मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा सुराणा के खसरा नम्बर 1471/2969 के बजाय 1471/2967 को सलग्न नक्श ट्रेस अनुसार नक्शे में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक 20/05/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सायला

उपखण्ड अधिकारी
सायला (राज.)